न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री नीरज मिश्र, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2019/ 1411

दिनांक – 20/06/19

प्रार्थीगण — बनाम — अप्रार्थीगण

1 हीराराम पुत्र रामाराम वगैराह जाति जाट निवासी रामनगर, सरनु तहसील व जिला बाड़मेर।

1 खेताराम पुत्र अनाराम वगैराह जाति जाट निवासी रामनगर, सरनु तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,करने नेखमबन्दी बाबत

राजस्व आवेदन संख्या :– 171/2019

दिनांक– 19/06/19

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा रामनगर पटवार क्षेत्र सरनु तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 163 रकबा 0.02 बीघा, खसरा संख्या 164 रकबा 0.09 बीघा, खसरा संख्या 164 रकबा 0.09 बीघा, खसरा संख्या 170 रकबा 109.18 बीघा, खसरा संख्या 383/167 रकबा 48.03 बीघा, खसरा संख्या 385/165 रकबा 21.12 बीघा कुल रकबा 180.04 बीघा भूमि व मौजा सरनु चिमनजी पटवार क्षेत्र सरनु तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 151 रकबा 77.12 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/– अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

क्रमांक :– रीडर/2019/ 1412-13

दिनांक– 20/06/19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी सरनु तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. हीराराम पुत्र रामाराम वगैराह जाति जाट निवासी रामनगर, सरनु तहसील व जिला बाडमेर।
4. विप्रार्थी खेताराम पुत्र अनाराम वगैराह जाति जाट निवासी रामनगर, सरनु तहसील व जिला बाडमेर।

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर